

10 $\frac{01}{24}$

वकूलाय तुम आज पीछलीन
अधिकारी केस में पधारें है।
पत्रावली दिनांक 11-1-24 को पेश हो।

केस
रिडर

10/01/2024
TDR
13

11 $\frac{01}{24}$

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप।
अपनी मनीषा ने उपरिष्ठ होकर रास्ते हेतु
सहमति प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी व प्रार्थी
बाबुलात भी उप-। चूंकि अप्रार्थी ने प्रार्थी से
रास्ता देने हेतु लिखित में सहमति पेश की है
तथा दोनो पक्षों के ककुलाय इससे सहमत हैं
अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त हो जाती
है। पत्रावली फ़ैसल गुमार होकर नम्बर से कम हो

मनीषा

केस

मनीषा

केस
SDO
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

पुनश्च पक्षकारों ने आपसी सहमति से रास्ता
अपने कर्पना पत्र में वर्णित अनुसार चाहा है। अतः
माफिक सहमति पत्र जोकेदर को अप्रार्थी की भूमि
खसरा नंबर 1305/1153 में से 10 फीट चौड़ा
तथा 140 फीट लम्बा रास्ता पंजीयन दर के
अनुसार देय राशि पर दिये जाने के आदेश
दिये जाते हैं।

$10 \times 140 = 1400$ वर्गफीट = 130 वर्गमीटर

DLC दर = 2,11,846/- प्रति हेक्टर के अनुसार

$130 \times 2118 = 2753$ का दुगुना = 5507 रुपये

प्रार्थी, अप्रार्थी को अदा करेगा। TDR वाली देय
प्रतिशत राशि अदायगी की सुनिश्चितता पर प्रार्थना
पत्र में संलग्न नक्शे में दर्शित दूरी से प्रार्थी के
रास्ते का रेकर्ड में अमल क्रामद की पालना सुनिश्चित
करे। आदेश प्रति समस्त संबंधित को पालनार्थ
भिजवर्षि जावे।

पत्रावली फ़ैसल गुमार होकर नम्बर
से कम होउपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज
SDO

अ. वि. वि. बाली

क्रमांक/सीई/२०२४/१५३-१५४

दिनांक ०७-०२-२०२४

प्रतिपत्ति :- निम्नलिखित को आवश्यक मार्गदर्शनी व पालनार्थ हेतु प्रेषित

१. १३६ बाली
२. शु-अभिलेख निरीक्षण बीजापुर
३. परवारी हल्का बीजापुर
४. लक्ष्मील राजरत लैसाकार बाली
५. आवेदन बाबुलाल पुत्र भीकाराम जाटि कुम्हार निवासी - बीजापुर




उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज